



जापान ने फरि से शुरू कयिा व्हेल का वाणजियकि शकिार

चर्चा में क्योँ?

जापान ने 31 वर्षों के बाद एक बार फरि से व्हेल का वाणजियकि शकिार (Commercial Whaling) शुरू कर दयिा है।

पृष्ठभूमि

- जापान ने दसिंबर 2018 में ही अंतर्राष्टरीय व्हेलिंग आयोग (International Whaling Commission- IWC) की सदस्यता छोड़कर फरि से व्हेल का वाणजियकि शकिार शुरू करने की घोषणा की थी।
- जापान ने आधिकारिक तौर पर सदस्यता त्यागने के अपने फैसले के बारे में IWC को सूचित कयिा था जो 30 जून, 2019 से प्रभावी हुआ है।
- जापान ने आखरी बार व्हेल का वाणजियकि शकिार वर्ष 1986 में कयिा था था, लेकिन शोध के उद्देश्यों से व्हेल का शकिार लगातार जारी रहा है।
- IWC से अलग होने के बाद भी जापान केवल जापान की समुद्री सीमा में ही व्हेल का शकिार कर सकेगा अन्य क्षेत्रों में नहीं।

जापान द्वारा IWC की सदस्यता त्यागने का कारण

- जानवरों के शकिार पर प्रतिबंध लगाने वाली संधिका हस्ताक्षरकरत्ता होने के बावजूद 'वैज्ञानिक अनुसंधान' के लिये एक वर्ष में सैकड़ों व्हेल पकड़ने के कारण नियमिति रूप से इसकी आलोचना की जाती रही है।
- जापान ने IWC से मांग की थी कि उसे व्हेल का वाणजियकि शकिार फरि से शुरू करने की अनुमति दी जाए लेकिन जापान की इस मांग को व्हेल के शकिार का वरिध करने वाले देशों जनिमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, के वरिध के चलते स्वीकार नहीं कयिा गया। जिसके बाद जापान ने IWC की सदस्यता त्यागने का नरिणय लयिा था।

IWC की सदस्यता त्यागने के मायने

- व्हेल का वाणजियकि शकिार जापान के क्षेत्रीय जल और वरिध आर्थिक क्षेत्रों तक सीमिति होगा। वह अंटार्कटिक या दक्षिणी गोलार्द्ध में शकिार नहीं करेगा।
- IWC की सदस्यता छोड़ने का मतलब है कि जापान आइसलैंड और नॉर्वे जैसे देशों में शामिल हो जाएगा जो व्हेल के वाणजियकि शकिार पर IWC द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का खुले तौर पर वरिध करते हैं।
- IWC की सदस्यता छोड़ने का तात्पर्य यह है कि IWC द्वारा वर्तमान में संरक्षित मकि और अन्य व्हेल का जापान के तटीय क्षेत्रों में फरि से शकिार कयिा जा सकेगा।
- लेकिन जापान अंटार्कटिक में अपने तथाकथित वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु कयिे जाने वाले शकिार को जारी रखने में सक्षम नहीं होगा क्योँकि अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty) के तहत इसे यह अनुसंधान जारी रखने की अनुमति IWC का सदस्य होने के कारण दी गई है।

अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty)

- अंटार्कटिक संधि को वाशगिटन संधि के नाम से भी जाना जाता है।
- इस संधि पर शुरुआत में 12 देशों- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्राँस, जापान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, तत्कालीन सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वाशगिटन में हस्ताक्षर कयिे गए थे। बाद में 27 अन्य देशों ने इस संधि को स्वीकार कयिा और 23 जून, 1961 को यह संधि प्रभाव में आई।

जापान के लिये वाणजियकि व्हेलिंग का महत्त्व

- जापान ने सदियों से व्हेलों का शकिार कयिा है और द्वितीय विश्व के बाद जब यह देश बेहद गरीबी की स्थिति का सामना कर रहा था उस समय माँस ही

यहाँ के नविसरिों के लयि प्रोटीन का महत्त्वपूर्ण स्रोत था ।

- जापान का तर्क है क व्हेलिंग जापान की परंपराओं का एक महत्त्वपूर्ण हसिसा है और IWC की सदस्यता त्यागने से मछुआरों को व्हेल का शकार करने की अनुमति मिलेगी । इससे देश में व्हेल के वाणज्यिक शकार की संस्कृति को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी ।

अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग

(International Whaling Commission- IWC)

- अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC) एक वैश्विक निकाय है जसि व्हेल के संरक्षण और शकार संबंधी प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है ।
- IWC के सभी सदस्य व्हेलिंग के वनियमन पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के (International Convention for the Regulation of Whaling) के हस्ताक्षरकर्ता हैं ।
- यह अभिसमय एक प्रकार का कानूनी तंत्र है जसिके अंतर्गत वर्ष 1946 में IWC की स्थापना की गई थी तथा जापान वर्ष 1951 में इस संगठन का सदस्य बना था ।
- वर्तमान में IWC के सदस्य देशों की संख्या 89 है ।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernce URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/international-whaling-commission>